न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या :-69/2018/टोंक

नारायण दत्तक पुत्र कालू पुत्र केसरा,जाति मीणा,निवासी बालापुरा तह0 उनियारा जिला टोंक

--प्रार्थी

बनाम

1. प्रसादी पुत्री कालू
2. कजोड़ी पुत्री कालू,
3. सोहनी पुत्री कालू

समस्त जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील उनियारा, जिला टोंक।

4. ग्राम पंचायत फुलेता जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत फुलेता, तहसील उनियारा।
5. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा टोंक, जरिये प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, उनियारा, जिला टोंक।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित अभि0ः—हेमराज गुप्ता(वकील अपी0)

बाजदायरी प्रार्थना पत्र,विरूद्ध आदेश(दिनांकः—30.03.2017) न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर अन्तर्गत अपील 52/2014

दिनांकः—30.12.2021

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी एवं रिस्टोरेसन बाबत् प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 30.03.2017 को न्यायालय हाजा द्वारा रेस्पो0 के नोटिस पेश नहीं करने के कारण अदम तकमील में खारिज कर दिया गया। अपीलांट के अभि0 द्वारा उसे इस आदेश की जानकारी नहीं दी गई। नोटिस पेश करने का दायित्व अपीलांट अधिवक्ता का था। जिनके द्वारा युक्तियुक्त पैरवी नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में उनकी उक्त त्रुटि के लिए पक्षकारों को दण्डित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाये। इसके समर्थन में उनके द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया।

साथ ही एक प्रार्थना पत्र अ[illegible] 5 [illegible] अधिनियम को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.2017 [illegible] हें पूर्व में जानकारी नहीं दी गयी थी। जानकारी प्राप्त होते ही अब नया अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में [illegible] हित में क्षमा किया जाये। इसके समर्थन में भी उनके द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की अपील को न्यायालय द्वारा अदम तकमील में खारिज किये जाने की आड़ में रेस्पो0

विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये और मौके एवं रिपोर्ट की यथास्थिति बनाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये। इसके साथ ही उनके द्वारा एक शपथ पत्र इस बाबत् दिया गया।

आदेश 41 नियम 19 को देखा गया। नियम 19 के अनुसार जहां अपील नियम 11 के उपनियम(2) या नियम 17 के अधीन खारिज की जाती है। वहां अपीलार्थी अपील न्यायालय अपील के पुनः ग्रहण किये जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और जहां यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपील की सुनवाई के लिए उपसंजात होने से किसी पर्याप्त वजह से निवारित हो गया था। तो न्यायालय अपील को ग्रहण कर सकेगा। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार उसे उसके अधिवक्ता ने हमेशा यह कहा कि उसे न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है और वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहकर पैरवी करेगें। अतः दिनांक 30.03.2017 को भी उसे उनके द्वारा रोका गया था तथा उनके द्वारा ही रेस्पो0 के नोटिस प्रस्तुत न करने से अपील अदम तकमील खारिज कर दी गयी थी। प्रार्थना पत्र एवं आदेश 41 नियम 19 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय का यह मानना है कि प्रार्थी द्वारा बताई गयी बाते सत्य है और इस बाबत् उसके द्वारा शपथ पत्र भी दिया गया है। अतः न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार करता है। पत्रावली पर पुनः नम्बर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को देखा गया कि उन्हें न्यायालय आदेश दिनांक 30.03.2017 की पूर्व में जानकारी नहीं थी। जानकारी प्राप्त होते ही अविलम्ब नया अधिवक्ता नियुक्त कर अपील को पुनः नम्बर लिये जाने की कार्यवाही कर दी गयी है ताकि प्रार्थी के प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर हो सके। प्रार्थी के अनुसार न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मियाद के बिन्दु पर नर्म रूख अपनाया जाना चाहिये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंदर मियाद अवधि स्वीकार किया जाये। उक्त प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को देखा गया। अपीलांट द्वारा अपील उपखण्ड अधिकारी उनियारा के आदेश दिनांक 21.03.2014 के विरूद्ध की गई है। जिसमें उन्होनें नामांतरण संख्या 210 दिनांक 15.09.1996 जो कि ग्राम पंचायत फुलेता के द्वारा स्वीकृत किया गया था को उपखण्ड न्यायालय उनियारा द्वारा निरस्त कर पत्रावली पुनः तहसीलदार उनियारा को रिमाण्ड कर देने से उक्त अपील की गयी थी। जिसमें मुख्य रूप से विवाद गोद पुत्र नारायण तथा कालू पुत्र केसरा के मृत्यु के बाद विरासत के नामांतरण से जुड़ा विषय है। पहले कालू की विरासत कालू की पत्नि तथा दत्तक पुत्र नारायण के पक्ष में की गई। कालू की पुत्रीयों के द्वारा उपखण्ड अधिकारी उनियारा में प्रथम अपील कर उक्त नामांतरण संख्या 210 निरस्त करवा दिया गया। जिसकी अपील नारायण द्वारा न्यायालय हाजा में की गई थी। जिसे दिनांक 30.03.2017 को अदम तकमील में न्यायालय हाजा द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा अपील को गुणावगुण निर्णित करने की प्रार्थना की गई। न्यायालय का यह मानना है कि प्रार्थी को जब न्यायालय के उक्त आदेश का पता चला तो उसके द्वारा तुरंत नया अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया। चूंकि विवादित प्रश्न विरासत और गोदनामें के बीच है जो एक गंभीर मुद्दा है जिसे गुणावगुण पर जाकर ही निर्णित किया जा सकता है। अतः न्यायालय धारा 5 मियाद अवधि प्रार्थना पत्र को स्वीकार करता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। अपील को मियाद अवधि में मानते हुए तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested